न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 63/2023

प्रार्थी

ग्राम पंचायत कमठाई
हाल टाकू बेरी पं.स.
सिणधरी जरिये सरपंच
हरजीराम पुत्र कोहलाराम
जाति मेघवाल निवासी
टाकूबेरी तहसील सिणधरी
जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. पोकरराम पुत्र हेमाराम
2. खंगाराराम पुत्र हेमाराम
3. मंगनाराम पुत्र मोटाराम

जातियान जाट निवासी राणेरी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाडमेर

4. तेजाराम पुत्र गुणेशाराम
5. थानाराम पुत्र गुणेशाराम
6. दीपाराम पुत्र गुणेशाराम
7. देउदेवी पनि चौथाराम
8. मोमाराम पुत्र चौचाराम
9. मगाराम पुत्र चौधाराम
10. मेगाराम पुत्र चौधाराम
11. सुखराम पुत्र गौधाराम
12. ऊकाराम पुत्र राजाराम
13. केसाराम पुत्र जेठाराम
14. जालाराम पुत्र जेठाराम
15. तिलाराम पुत्र राजाराम
16. दमाराम पुत्र वीराराम
17. भेराराम पुत्र जेठाराम
18. भीमाराम पुत्र राजाराम

12. मंगलाराम पुत्र वीराराम

20. मीरो पत्नि राजाराम जातियान मेघवाल निवासी रोगरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

21. कबुदेवी पत्नि सवाराम

23. डूंगराराम पुत्र दुर्गाराम
24. मासींगाराम पुत्र भूराराम
25. लेहरोंदेवी पत्नि भूराराम
26. वींजाराम पुत्र भूराराम
27. वीराराम पुत्र सवाराम
28. बबरीदेवी पत्नि चुतराराम
29. रमलराम पुत्र चुतराराम
30. सवाईराम पुत्र पन्नाराम
31. आदूराम पुत्र पांचाराम
32. आम्बूदेवी पत्नि पांचाराम
33. ठाकराराम पुत्र खीमाराम
34. देराजराम पुत्र खीमाराम
35. पेमाराम पुत्र पांचाराम
36. पारसराम पुत्र खीमाराम
37. शान्तिदेवी पत्नि खीमाराम
38. सरदाराराम पुत्र पांचाराम
39. हरचन्दराम पुत्र खीमाराम

जातियान राईका निवासी राणेरी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

40. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भवंरलाल सारण, प्रार्थी (ग्राम पंचायत) की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 26.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी ग्राम पंचायत के नाम से मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 152/57 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 1.9740 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 57 रकबा 18.8416 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। प्रार्थी ग्राम पंचायत के नाम से उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 152/57 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 1.9740 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 57 रकबा 18.8416 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी ग्राम पंचायत का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 152/57 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 1.9740 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 57 रकबा 18.8416 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 152/57 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 1.9740 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 57 रकबा 18.8416 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 152/57 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 1.9740 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 57 रकबा 18.8416 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076—2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी (ग्राम पंचायत) विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा राणेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 152/57 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 1.9740 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 57 रकबा 18.8416 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 26.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी